

कार्यालय अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

Telephone No. 07774-297800

E-mail – deanmedicalcollegesurguja@gmail.com

क्र./ 4342 / शा.चि.म./स्था./ 2021

अम्बिकापुर, दिनांक 23/8/21

//आदेश//

—:००:—

छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 12-02/2020/नौ/55-4, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25.07.2020 के द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर में वायरोलॉजी लैब की स्थापना हेतु संस्था में पूर्व स्वीकृत पदों पर निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से नाम के सम्मुख दर्शित पद, संवर्ग एवं समेकित वेतन पर 06 माह के लिए अथवा शासन द्वारा इस पद पर तदर्थ/नियमित नियुक्ति होने तक के लिए अथवा अन्य कोई आदेश जारी होने तक उसमें से जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	चयनित संवर्ग	समेकित वेतन
1.	हिमांशु पटेल	मनोज कुमार पटेल	जूनियर साईटिस्ट	अनारक्षित	40,840 /—
2.	गरिमा सिंह	कृष्णभान सिंह	जूनियर साईटिस्ट	अ.ज.जा.	40,840 /—

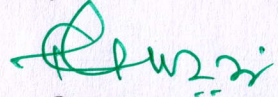
नियम एवं शर्तें :-

- नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर संबंधित को कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त संविदा नियुक्ति अनुबंध के शर्तों के अनुसार रहेगी तथा इन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा) नियम, 2012 यथा संशोधित नियम 2019 लागू होंगे।
- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित को शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्था में कार्य करने/न करने का शपथ पत्र/त्यागपत्र/कार्यमुक्त आदेश तथा सभी मूल दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
- संबंधित कर्मचारियों को 15 दिवस के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जमा करना अनिवार्य होगा, बोर्ड द्वारा मेडिकल अनफिट प्रमाणित करने पर उक्त सेवा स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
- सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि का किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- संविदा नियुक्ति पर सिविल सेवा (संविदा) नियम के तहत अवकाश की पात्रता होगी।

क्रमशः.....



7. नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य का 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, संविदा नियमानुसार दोनों पक्षों द्वारा किसी भी समय 01 माह पूर्व सूचना अथवा 01 माह का वेतन जमा कर सेवा से पृथक किया जा सकता है।



अधिष्ठाता

22/8/2021

राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

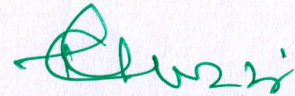
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

अम्बिकापुर दिनांक :

पृ.क्रमांक/4343-52/स्था./शाचिम/2021

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर एवं अध्यक्ष प्रबंधकारिणी स्वशासी समिति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और सूचनार्थ प्रेषित।
6. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जिला कोषालय अधिकारी, अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. लेखा शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. संबंधित.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



अधिष्ठाता

22/8/2021

राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)